an>

Title: Need to set up a special Bench of Rajasthan High Court in Udaipur.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वाकांक्षी मांग पिछले कई वÂ◌ा◌ा◌ों से उठती आ रही है। न्याय में देरी करना अपने आप में न्याय से वंचित करना है। राजस्थान क्षेत्रफल की दÂ◌िट से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मैं जिस मेवाड़ क्षेत्र से आता हूं, वहां चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल बनता है। वहां की जनता की तीस वÂ◌ा◌ा◌ों से मांग है कि वहां हाई कोर्ट खुलना चाहिए ताकि उन्हें सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। वह एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरा आपसे आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान विशेÂ◌ात: मेवाड़ क्षेत्र के निवासी वÂ◌ाऱ्‍ 1880 से ही मेवाड़ राज्य के तत्कालिक महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा जारी किए गए संविधान में उच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त था। दिनांक 1 मई, 1948 को संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आया तब संयुक्त राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1948 की धारा 13 द्वारा मुख्य पीठ उदयपुर में रखी गई। 1949 को वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ तब राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1949 को प्रख्यापित होकर आर्डिनैंस नम्बर 3 सन् 1948, 1949 द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित की गई और खंडपीठ जयपुर के साथ उदयपुर में रखी गई। उसके उपरांत उदयपुर की खंडपीठ 1950 से एवं जयपुर की खंडपीठ 1958 से समाप्त कर दी गई। इसके बाद जयपुर की खंडपीठ पुनः प्रारंभ हो गई, इस क्षेत्र की जनता कोई नवीन खंडपीठ की मांग नहीं कर रही है बल्कि 1950 में जो खंडपीठ समाप्त की गई थी उसकी पुनः मैं स्थापना की मांग करता हूं। जयपुर संभाग के नागरिकों को न्याय मिल गया और दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र है इस क्षेत्र की जनता को भी न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, सस्ता और सुलभ न्याय मिले इसलिए उदयपुर हाई कोई की खंडपीठ स्थापित की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : । श्री सुधीर गुप्ता को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विÂ◌ाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।